

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु.)-1

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी 2018

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.1 (पूँजी उपादान) के अन्तर्गत इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- 1-2017-87 आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को 'इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाईयों को अनुमन्य होंगे।

3- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाईयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 भार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रु 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.1 में पूँजी उपादान प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है:-

4.1 पूँजी उपादान

- भूमि के अतिरिक्त स्थिर पूँजी पर, रु 5 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूँजी उपादान, अनुमन्य होगा।
- रु0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईयों को, केस टू केस आधार पर, पूँजी उपादान की उक्त सीमा को अधिकतम रु 150 करोड़ की सीमा तक शिथिल किया जा सकता है।
- यह उपादान ई.एस.डी.एम. इकाईयों को वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्यांकित पूँजी अथवा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेंट्स द्वारा मूल्यांकित पूँजी पर ही अनुमन्य होगा।

5- उपरोक्त हेतु पात्र इकाईयों को पूँजी उपादान की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से स्थापित की जा सकती है।

1 पूँजी उपादान हेतु पात्रता

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.1 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्न मानकों को पूर्ण करने वाली इकाइयां पात्र होंगी:-

- (i) आवेदक इकाई उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित ई-एस.डी.एम. इकाई ही, जिसके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पूँजी निवेश कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।
- (ii) पूँजी उपादान, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली ई-अपशिष्ट पुनर्वर्चकण कम्पनियों (recycling units) को भी अनुमत्य होगा।

2 पूँजी उपादान अवधि

- 2.1 शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर व्यवसायिक कार्यकलाप अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि से अनुमत्य होगा।
- 2.2 इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन/परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में अपना दावा निधारित प्रक्रिया के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन निवेशालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3 आच्छादन

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत उद्घोषित “इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन”

4 प्रतिपाद्ये

एतद्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

5 पूँजी उपादान का विवरण

- 5.1 पूँजी उपादान केवल ई-एस.डी.एम. उद्योग क्षेत्र में परिचालनरत इकाईयों को प्रदान किया जायेगा तथा भूमि को छोड़कर अन्य स्थिर पूँजी निवेश पर अनुमत्य होगा, जिसका मूल्यांकन बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अथवा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति या वित्तीय कन्सलेटेण्ट द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 सभी नई औद्योगिक इकाइयां भूमि को छोड़कर स्थिर पूँजी निवेश पर 15 ग्राहितात की दर से पूँजी उपादान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी तथा इसकी अधिकतम सीमा रु 5 करोड़ प्रति इकाई होगी, तथापि रु0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईयों को, केस दू केस आधार पर, पूँजी उपादान की उक्त सीमा अधिकतम रु 150 करोड़ होगी।
- 5.3 संयंत्र एवं मशीनरी (लाइट एण्ड मशीनरी) के मूल्य आगामन हेतु स्थल पर (आन साइट) औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी की लागत को संज्ञान में लिया जायेगा, तथापि वास्तविक मूल्यांकन अलग-अलग मामलों में विक्री-विनाश हो सकता है।
- 5.4 पुराने संयंत्र एवं मशीनरी अधिवा ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी, जिनका भुतान नकद किया गया हो, पूँजी उपादान पर विचार हेतु पात्र न होगी।
- 5.5 किसी औद्योगिक इकाई के स्थानी/साझेदार/प्रबन्धन को, उसके द्वारा सम्पूर्ण अथवा आंशिक अनुदान/उपादान प्राप्त किए जाने के पश्चात, व्यवसायिक उपादान/परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्वानुमोदन के बिना,

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई जोनों किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanaadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई अथवा उसके किसी भाग की अवस्थिति में परिवर्तन अथवा, उसके कुल स्थिर पूँजी निवेश में यथेष्ट कर्मी अथवा निस्तारण करने की अनुमति न होगी।

इकाई को पूँजी उपादान पर अनुमोदन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं एवं आवश्यकतानुसार गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेंट की सलापन आच्छा प्राप्त होने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन निदेशालय द्वारा उसके परीक्षण एवं संस्तुति उपरान्त, नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जायेगा।

पूँजी उपादान के बल स्थिर पूँजी पर अनुमत्य होगा। इस प्रोत्साहन हेतु भूमि पर किसी पूँजीगत निवेश को समिलित न किया जायेगा।

इस योजना का लाभ के बल उन्हीं इकाइयों को अनुमत्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान का लाभ न लिया हो।
जिन इकाइयों को केस-दृ-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें पूँजी उपादान का भुगतान सम्बन्धित शार्ट नादेश के अनुसार किया जायेगा।

6 पूँजी उपादान प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

- 5.6 इस योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान प्राप्त करने की इच्छुक औद्योगिक इकाई द्वारा "व्यवसायिक कार्यकलाप" आरम्भ करने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन निदेशालय में अपना पंजीयन कराना होगा।
- 5.7 पूँजी उपादान प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा अपना दावा, आवरण-पत्र (अनुलग्नक 'A') के साथ निधरित आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-'B') पर, आवश्यक अभिलेखों सहित, व्यवसायिक उत्पादन/परिचालन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5.8 पूँजी उपादान प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपादान प्राप्त हेतु प्रस्तुत आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तथा चेक-लिस्ट के अनुरूप समस्त वांछनीय अभिलेख संलग्न किये गये हैं। वांछनीय अभिलेखों के बिना अपना आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार न किए जायेंगे।
- 5.9 संयंत्र एवं मशीनरी से सारांशित समस्त भुगतान 'एकाउन्ट पेयी चेक', डिमांड ड्राप्र्रट अथवा बैंक हस्तान्तरण के अन्य माध्यमों, जैसा भी हो, द्वारा किये गये हो। पूँजी उपादान की गणना हेतु नकद रूप में भुगतान को पत्र न माना जायेगा।
- 6.1 कठिपय प्रारंभिक व्यय जैसोंकि उच्च-लागत वाले व्यय (हाई वैल्यू एक्सप्रेन्सेज) पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्ट से सत्यापित कराये जाने की मांग की जा सकती है।
- 6.2 इकाई द्वारा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में निदेशालय/नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इकाई से स्थिति स्थृत कराई जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण जोकि उसके लियार में, इकाई द्वारा प्रस्तुत दावों की यथार्थता के विनियन हेतु आवश्यक हो, की मांग की जा सकती है। इकाई से मांग गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेख, निधरित अवधि के अन्दर इकाई द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- 6.3 इस योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान हेतु पाक्रता एवं उसके परिमाण के निधरिण हेतु भूमि की लागत को सम्मिलित न किया जायेगा।
- 6.4 मिशन निदेशालय के अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी/ तकनीकी समिति द्वारा प्रत्येक इकाई के स्थल का भ्रमण तथा औद्योगिक इकाई के विद्यमान एवं परिचालनरत होने का भौतिक सत्यापन, आवश्यकतानुसार किया जा सकता है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत विचलन-आख्या (डेविएशन रिपोर्ट) के सम्बन्ध में अपनी आच्छा एवं टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी।
- 6.5 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित इकाइयों के मामले में परियोजना के लिए संयंत्र एवं मर्शिनों के मूल्य का सलापन सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था अथवा आवश्यकतानुसार गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेंट द्वारा किया जायेगा।
- 6.6
- 6.7
- 6.8
- 6.9

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकरी जा जिया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता देव साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7.1 नामित प्राधिकृत अधिकारी/तकनीकी समिति के कार्य (स्थलीय भ्रमण, मिशन निदेशक के विवेकाधीन अथवा प्रदेश शासन के निर्देशानुसार) स्फूल रूप से निम्नवत होगे:-

- औद्योगिक इकाई द्वारा जिन संघर्षों एवं मशीनरी के आधार पर अपना दावा किया गया है, उनकी भौतिक उपलब्धता का सत्यापन।
- यह सुनिश्चित करना कि उत्पादन हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा जिन संघर्षों एवं मशीनरी के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है, क्या उनके अवयव (कम्पोनेन्ट्स/आईटीस) योजना के प्राविधिकों एवं समय-समय पर निगत पश्चातवर्ती स्पष्टीकरण (सब्सीक्रिट वैलीफिकेशन्स) के अनुरूप हैं।
- संघर्ष एवं मशीनरी का मूल्य आणन करते समय, वित्तीय संस्थाओं जिनके द्वारा औद्योगिक इकाई की परियोजना हेतु वित्तपेण रेखा गया हो, की 'अप्रेजल रिपोर्ट' एवं अन्य प्रासादिक अभिलेखों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना।
- स्थलीय भ्रमण की तिथि से 20 कार्यदिवस के अन्दर 'भ्रमण आख्या प्रस्तुत किया जाना।

7.2 योजना के अन्तर्गत किसी दावे पर संस्तुति/अनुमोदन प्रदान करते समय, इलेक्ट्रोनिक्स मिशन निदेशालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को, जहां लागू हो वाईगत रखा जायेगा:-

- भौतिक सत्यापन आख्या।
 - स्थलीय भ्रमण दल की मूल्यांकन आख्या ('अप्रेजल रिपोर्ट')।
 - औद्योगिक इकाई के विद्यमान होने के प्रमाण से सम्बन्धित अभिलेख।
 - इकाई के उत्पादन/व्यवसाय के अकिङ्गे।
 - औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर), तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट (टी.ई.एफ.आर.)।
 - क्या इकाई द्वारा संघर्ष एवं: शीर्णे के क्रय हेतु उसका मूल्य भुगतान एकाउन्ट पेरी चेक/बैंक ड्राप्ट अथवा बैंक हस्तान्तरण के अन्य माध्यमों, जैसा भी हो, के माध्यम से किया गया है।
 - वित्तीय संस्था(ओ), जिनके द्वारा औद्योगिक इकाई की परियोजना हेतु वित्तपोषण किया गया हो, की 'अप्रेजल रिपोर्ट'।
 - इकाई द्वारा अपने दावे के साथ प्रस्तुत विचलन आख्या (डेविएशन रिपोर्ट)।
 - संघर्षों एवं मशीनरी के अवयव (कम्पोनेन्ट्स/आईटीस) पर सूचना औद्योगिकी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर प्रदत्त स्पष्टीकरण।
- 7.3 किसी विशेष दावे को संस्तुत/अनुमोदित/निरस्त किए जाने के औचित्य एवं कारणों को विस्तृत रूप से अभिलिखित किया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये मूल्यांकन के अन्तर्गत संज्ञान में लिये गये संघर्ष एवं मशीनरी मद की वस्तुओं तथा तकनीकी दल द्वारा किये गये मूल्यांकन के बीच किसी विसंगति/विचलन की स्थिति पर समिति द्वारा उपलब्ध स्थैतिकण्ण/औचित्य से सम्बन्धित टिप्पणी दी जायेगी।
- 7.4 इकाई द्वारा व्यक्तसायिक उ गढन/परिचालन आरम्भ करने की तिथि के पश्चातवर्ती पांच वर्षों की प्राप्ति आख्या (ए.पी.आर). इलेक्ट्रोनिक्स मिशन निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 7.5 औद्योगिक इकाई को देय उपादान के परिमाण का निर्धारण/आगामन, पात्र अवयवों (इलीजिबिल कम्पोनेन्ट्स), जैसाकि योजना में अथवा समय-समय पर मिशन निदेशालय/नीति कार्यान्वयन इकाई/आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अनुबर्ती निर्देशों/स्पष्टीकरण से निर्धारित है, के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी संशय की दशा में प्रकरण मिशन निदेशालय द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई को सद्विभित किया जायेगा और नीति कार्यान्वयन इकाई का निर्णय अन्तिम होगा।
- 7.6 शासनादेश निर्गत हो जाने पर इकाई तथा इलेक्ट्रोनिक्स मिशन निदेशालय के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।


1- यह शासनादेश इलेक्ट्रोनिक्स जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता : ॥ साइट <http://shaanadesh.upniv.ac.in> से संस्थापित की जा सकती है।

- 7.7 विभिन्न पात्र इकाईयों को ज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उपादान के भुगतान हेतु बैंक को, पात्र इकाई के निर्दिष्ट बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धनराशि के सीधे हस्तान्तरण के लिए पेमेन्ट-एडवाइस निर्गमन हेतु-ई-पेमेन्ट/एन-ई-एफ-टी/आर-टी-जी-एस का उपयोग किया जायेगा।
- 7.8 प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए इकाई को दो प्रत्येक वर्ष पूँजी उपादान की धनराशि की व्यवस्था हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान कराये जाने के सबूच में इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन निदेशालय द्वारा प्रस्ताव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को भेजा जायेगा।
- 7.9

- 8 प्रात्र इकाई के द्वायित्व पूँजी उपादान की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन निदेशालय/नीति कार्यालय/प्राविधिकता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुषंगिक व्यय उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।
- 9 न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।
- 10 व्यय भार पूँजी उपादान के वितरण के सबूच में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, सैम्प शुल्क, अधिविकता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुषंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।
- 11 पूँजी उपादान निरस्त्रीकरण हेतु मानदण्ड इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनाएं गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वस्तु की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक-पर्योगपरि।



संख्या-133(1)/78-1-2018 तददिनांक

- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को स्वीकृत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 - अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कर एवं निवन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की अवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
8 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.uo.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।